

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं०- 0612-2217956
फैक्स- 0612-2215611/2215978
ई-मेल- ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 02.11.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 05.11.2015 (वृहस्पतिवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के पंचम चरण के 57 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 05.11.2015 (वृहस्पतिवार) को निर्धारित है जिनमें से 55 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक तथा 2 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का

समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक है। पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

| जिला का नाम | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम | मतदान का समय |
|-------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| मधुबनी | 31-हरलाखी | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 32-बेनीपट्टी | |
| | 33-खजौली | |
| | 34-बाबूबरही | |
| | 35-बिस्फी | |
| | 36-मधुबनी | |
| | 37-राजनगर (अ0जा0) | |
| | 38-झंझारपुर | |
| | 39-फुलपरास | |
| | 40-लौकहा | |
| सुपौल | 41-निर्मली | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 42-पिपरा | |
| | 43-सुपौल | |
| | 44-त्रिवेणीगंज (अ0जा0) | |
| | 45-छातापुर | |
| अररिया | 46-नरपतगंज | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 47-रानीगंज (अ0जा0) | |
| | 48-फारबिसगंज | |
| | 49-अररिया | |
| | 50-जोकिहाट | |
| | 51-सिकटी | |
| किशनगंज | 52-बहादुरगंज | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 53-ठाकुरगंज | |
| | 54-किशनगंज | |
| | 55-कोचाधामन | |
| पूर्णिया | 56-अमौर | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 57-बायसी | |
| | 58-कसबा | |
| | 59-बनमनखी (अ0जा0) | |
| | 60-रूपौली | |

| | | |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| | 61-धमदाहा | |
| | 62-पूर्णिया | |
| कटिहार | 63-कटिहार | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 64-कदवा | |
| | 65-बलरामपुर | |
| | 66-प्राणपुर | |
| | 67-मनिहारी (अ0ज0जा0) | |
| | 68-बरारी | |
| | 69-कोढ़ा (अ0जा0) | |
| मधुपुरा | 70-आलमनगर | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 71-बिहारीगंज | |
| | 72-सिंहेश्वर (अ0जा0) | |
| | 73-मधुपेरा | |
| सहरसा | 74-सोनबरसा (अ0जा0) | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 75-सहरसा | |
| | 76-सिमरी बख्तियारपुर | प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक |
| | 77-महिषी | |
| दरभंगा | 78-कुशेश्वरस्थान (अ0जा0) | प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक |
| | 79-गौडाबौराम | |
| | 80-बेनीपुर | |
| | 81-अलीनगर | |
| | 82-दरभंगा ग्रामीण | |
| | 83-दरभंगा | |
| | 84-हायाघाट | |
| | 85-बहादुरपुर | |
| | 86-केवटी | |
| | 87-जाले | |

5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

| | |
|---|-----|
| Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) | 138 |
| Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) | 42 |
| Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag) | 58 |

| | |
|--|-----------------|
| Violation of Loudspeaker Act | 8 |
| Illegal Meeting/Speech etc. | 18 |
| Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution | 2 |
| Others | 23 |
| 6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले अभी तक सामने आए :- | |
| No. of Arms/Weapons seized | 116 |
| No. of cartridges seized | 583 |
| No. of Bombs seized | 11 |
| No. of Licensed Arms deposited | 4,974 |
| No. of Licensed Arms Cancelled | 1,937 |
| No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC | 55,401 |
| No. of non-bailable warrants executed | 12,539 |
| Fine collected in vehicle checking | Rs. 2,76,34,185 |
| 7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के पंचम चरण के जिलों में अभी तक Flying Squad, Static Surveillance Team एवं अन्य के द्वारा अब तक कुल 2.51 करोड़ रुपये जब्त किया गया है। जब्त राशि में से आयकर विभाग द्वारा अब तक कुल 66.58 लाख रुपये को अंतिम रूप से जब्त किया जा चुका है जबकि 1.17 करोड़ रुपये जिला स्तर पर गठित समिति के स्तर से विमुक्त किया गया है। इसी प्रकार Flying Squad, SST, उत्पाद विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 83,067 लीटर शराब जब्त किया गया है जिसका मूल्य लगभग ₹1.34 करोड़ रुपया है। | |
| 8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 353 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। | |
| 9. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :- | |
| Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) | 2 |
| Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag) | 2 |
| Others | 4 |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 10. | Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :- | |
| | No. of Arms/Weapons seized | 2 |
| | No. of cartridges seized | 4 |
| | No. of Licensed Arms deposited | 4 |
| | No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC | 28 |
| | No. of non-bailable warrants executed | 58 |
| | Fine collected in vehicle checking | Rs. 79,150 |
| 11. | उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :- | |
| | No. of prohibition cases registered | 28 |
| | No. of raids conducted | 145 |
| | Volume of illicit liquor seized during raids | 3,603 litre |
| | No. of persons arrested | 47 |
| | Amount of fine imposed | Rs. 88,800 |
